पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–21] रुड़की, शनिवार, दिनांक 13 जून, 2020 ई0 (ज्येष्ठ 23, 1942 शक सम्वत्) [संख्या–19

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	307–322	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	247–257	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	05–07	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	193–199	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

ग्राम्य विकास अनुभाग–3

अधिसूचना

05 मई, 2020 ई0

संख्या 212/XI(3)/2019/53(35)2004–राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड ग्राम विकास अधिकारी सेवा नियमावली, 2011 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

उत्तराखण्ड ग्राम विकास अधिकारी (संशोधन) सेवा नियमावली, 2020

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड ग्राम विकास अधिकारी (संशोधन) सेवा नियमावली, 2020 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 6 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड ग्राम विकास अधिकारी सेवा नियमावली, 2011 (जिसे यहां आगे मूल नियमावली कहा गया है), के नियम 6 में अन्य पिछड़ा वर्ग शब्दों के पश्चात् "आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों" शब्दों को अन्तः स्थापित कर दिया जायेगा।

नियम 8 का संशोधन

3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 8 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा;
अर्थात्:–

	स्तम्भ–01	स्तम्भ–02
	8. ग्राम विकास अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि/विज्ञान/अर्थशास्त्र/कॉमर्स में स्नातक उपाधि धारण करता हो, साथ ही वह कम्प्यूटर संचालन में सी0 सी0 सी0 लेवल का प्रमाण पत्र धारक भी हो।	8. ग्राम विकास अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई उपाधि धारण करता हो।

नियम 9 का संशोधन

4. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 9 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

	स्तम्भ–01	स्तम्भ–02
अधिमानी अर्हता	9. अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के मामलें में अधिमान दिया जायेगा, जिसने– (एक) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक की सेवा की हो या, (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।	**अधिमानी अर्हता:** 9(1) अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के मामलें में अधिमान दिया जायेगा, जिसने– (एक) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक की सेवा की हो या, (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो। **अनिवार्य/वांछनीय अर्हता:** (2) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों के लिये अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 एवं तद्क्रम में इस सम्बन्ध में समय–समय पर यथासंशोधित नियमावलियों में निहित प्राविधान/शर्तों/उपबन्धों के अनुसार किये जायेगें।

नियम 10 का संशोधन

5. मूल नियमावली के नियम 10 में 18 वर्ष तथा 35 वर्ष अंको और शब्दों के स्थान पर कमशः "21 वर्ष" तथा "42 वर्ष" शब्द और अंक रख दिये जायेगें।

नियम 13 का संशोधन

6. मूल नियमावली के नियम 13 में निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित कर दिये जायेगें, अर्थातः–

"परन्तु यह कि विकलांगता अधिकार अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या–49 वर्ष 2016 भारत सरकार) की धारा–33 के कम में इस हेतु चिन्हित पदों तथा धारा–34 के अन्तर्गत चिन्हित श्रेणियों में दिव्यांगों को नियमानुसार नियुक्ति देने से मना नहीं किया जायेगा।

परन्तु यह और कि पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिये स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।"

नियम 14 का संशोधन

7. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 14 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

	स्तम्भ–01	स्तम्भ–02
	14. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या, संगत सेवा नियमावली के अनुसार ही, अवधारित करेगा। यदि चयन समिति के अध्यक्ष नियुक्ति प्राधिकारी से भिन्न कोई अधिकारी है तो नियुक्ति प्राधिकारी चयन समिति के अध्यक्ष को रिक्तियों की सूचना देगा।	14. नियुक्ति प्राधिकारी तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार, वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या, संगत शासनादेशों/ सेवा नियमावली के अनुसार ही, अवधारित करेगा और उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सूचित करेगा।

नियम 15 का संशोधन

8. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 15 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्:–

	स्तम्भ–01	स्तम्भ–02
	15 (1) सीधी भर्ती करने के लिए आवेदन–पत्र का प्रारूप नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा न्यूनतम ऐसे दो दैनिक समाचार–पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन हो, प्रकाशित किया जायेगा। (2) जनपद के सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन राज्य के प्रत्येक जिले में मुख्यालय पर एक चयन समिति द्वारा किया जायेगा। जिसमें निम्नलिखित सदस्य होगें:– (क)जिलाधिकारी अध्यक्ष (ख)मुख्य विकास अधिकारी सदस्य (ग)जिलाधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट एक जनपदीय वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी, जो अनुसूचित जाति या जनजाति के हों सदस्य (घ) जिला विकास अधिकारी सदस्य (ङ) अन्य पिछड़ा वर्ग का एक सदस्य राजपत्रित अधिकारी टिप्पणी:–समस्त पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन संबंधित जनपद के मुख्यालय पर किया जायेगा। (3) लिखित परीक्षा 150 अंको की वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी जिसमें अंको का वितरण निम्न प्रकार	15(1) सीधी भर्ती उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जायेगी। (2)रिक्तियों की संख्या जनपदवार घोषित की जायेगी। (3) सभी जनपदों के लिये एक ही लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी। (4) अभ्यर्थी द्वारा एक ही आवेदन–पत्र भरा जायेगा तथा अभ्यर्थी आवेदन पत्र में नियुक्ति हेतु जनपदवार एक से तेरह जनपदों की वरीयता (Choice) दे सकता है। (5) लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन जिसमें ग्रामीण विकास से सम्बन्धित प्रश्न भी शामिल होगें। (6) भर्ती हेतु लिखित परीक्षा बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ पर (Objective Type Questions with Multiple Choice) आधारित होगी। (7) लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंक (Negative Marking) की व्यवस्था होगी। और प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक तथा गलत

		होगा:– (क) सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन जिसमें लेखा संबंधी विषय भी शामिल होगें वस्तुनिष्ठ प्रश्न–100 अंक। (ख) कम्प्यूटर ज्ञान संबंधी वस्तुनिष्ठ प्रश्न 20 अंक (ग) ग्राम्य विकास से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न 20 अंक। (घ) सामान्य हिन्दी 10 अंक (ङ) चयन श्रेष्ठता के आधार पर किया जायेगा किन्तु ऊपर (क) (ख) तथा (ग) व (घ) में अंकित विषयों में न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त करना चयन के लिए आवश्यक होगा। (4) राज्य सरकार सभी जनपदों के लिए एक ही लिखित परीक्षा आयोजित कर सकती है। (5) सीधी भर्ती करने के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा न्यूनतम ऐसे दो दैनिक समाचार–पत्रों में जिनका व्यापक परिचालन हो, प्रकाशित किया जायेगा। (6) नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित रीति से सीधी भर्ती के लिए आवेदन–पत्र, उप नियम (6) में प्रकाशित प्रारूप पर आमंत्रित करेगा और रिक्तियां अधिसूचित करेगा:– (क) ऐसे दैनिक समाचार पत्रों में, जिसका व्यापक परिचालन हो, विज्ञापन जारी करके, (ख) कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचना चस्पा करके या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार पत्र के माध्मय से विज्ञापन करके, और	उत्तर के लिए 1/4 अंक कम कर दिया जायेगा। (8) परीक्षा में स्नातक स्तर के प्रश्न होंगे। (9) लिखित परीक्षा के पश्चात् लिखित परीक्षा की उत्तरमाला (Answer Key) को उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वैबसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा। (10) चयन का परिणाम उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वैबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा। (11) लिखित परीक्षा के प्राप्तांको के आधार पर जनपदवार प्रवीणता सूची (अन्तिम चयन सूची) तैयार की जायेगी। यदि लिखित परीक्षा में दो या दो से अधिक अभ्यर्थी कुल प्राप्तांको में समान अंक प्राप्त करें तो आयु में बड़े अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अनाधिक) होगी। (12) जनपदवार चयनित अभ्यर्थियों की एक एकीकृत वरिष्ठता सूची भी उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा बनाई जायेगी। जो भविष्य में सहायक खण्ड विकास अधिकारी पद पर या राज्य स्तरीय पदोन्नति के समय वरिष्ठता के निर्धारण हेतु

		(ग) रोजगार कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करके (7) रिक्तियां अधिसूचित करते समय आवेदन–पत्र के प्रारूप पुनः प्रकाशित नहीं किया जायेगा। (8) भर्ती हेतु लिखित परीक्षा बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ पर (Objective Type Question with Multiple Choice) आधारित होगी। (9) परीक्षा में इन्टरमीडिएट स्तर के प्रश्न होंगे। (10) अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात् अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी। (11) लिखित परीक्षा की उत्तर शीट (Answer Sheet) की कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में हो तथा परीक्षा के बाद डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी। (12) लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंक (Negative Marking) की व्यवस्था होगी। और प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक तथा गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक दिया जायेगा। (13) लिखित परीक्षा के पश्चात् लिखित परीक्षा की उत्तरमाला (Answer Key) को उत्तराखण्ड की वैबसाईट www.ua.nic.in पर प्रकाशन किया जायेगा। (14) चयन का परिणाम घोषित करने के साथ ही सभी अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा के अंकों को उत्तराखण्ड की वैबसाईट www.ua.nic.in पर प्रकाशन किया जायेगा।	अन्तिम होगी।

		(15) लिखित परीक्षा के प्राप्तांको के आधार पर प्रवीणता सूची (अन्तिम चयन सूची) तैयार की जायेगी। यदि लिखित परीक्षा में दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में समान अंक प्राप्त करें तो आयु में बड़े अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अनाधिक) होगी। (16) चयन के लिए अभ्यर्थियों से चयन समिति को ऐसी फीस देने की अपेक्षा की जायेगी जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाए। फीस की वापसी के लिए कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। (17) जब चयन प्रकिया पूरी हो जाए और चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित कर दी जाए तो चयनित अभ्यर्थी द्वारा चयन परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों का कुल योग व्यापक परिचालन वाले दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जायेगा तथा उत्तराखण्ड की वैबसाईट पर जनपद के जिला कार्यालय और संबंधित कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा। सभी अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक (लिखित परीक्षा) अधिकतम अंक के साथ अवरोही क्रम में (Descending Order) उत्तराखण्ड की वैबसाईट www.ua.nic.in पर प्रदर्शित किये जायेंगे। (18) अभ्यर्थियों की ऐसी फीस का जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाए, चयन प्रकिया	

		से संबंधित अभिलेखों और उसमें दिये गये अंको का निरीक्षण करने की अनुमति दी जायेगी। यदि कोई अभ्यर्थी ऐसी इच्छा व्यक्त करें तो उसे दो रूपये प्रति पृष्ठ की दर से फीस का भुगतान करने पर ऐसे अभिलेखों की फोटो प्रतियां भी दी जायेंगी।	

परिशिष्ट– 'क'

शासनादेश संख्या–1380/यू0ओ0/45/ग्रा0वि0वि0/2006 दि0 07.12.2006 द्वारा ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग को पुनर्जीवित किया गया है।

शासनादेश संख्या–610/xi/05/53(65)2004 दिनांक 24 जून, 2005 द्वारा स्वीकृत पदों का विवरण:–

क0 स0	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या		
			अस्थाई	स्थाई	कुल पदों की संख्या
1.	ग्राम विकास अधिकारी	रू0 5200–20200 ग्रेड पे–2400 (वर्तमान में लेवल–4)	–	950	950

आज्ञा से,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव।

नियोजन अनुभाग–1

अधिसूचना / कार्यालय–ज्ञाप

18 मई, 2020 ई0

संख्या 90 / XXVI / 2019–एक(10) / 2019–शासनादेश संख्या–219 / नि0अनु0 / 02–48 / नि0अनु0 / ढ़ांचा / 02, दिनांक 10 अक्टूबर, 2002 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या–392 / 48(2002)–XXVI / रा0यो0आ0 / 2005, दिनांक 03 जून, 2005 द्वारा राज्य योजना आयोग / नियोजन निदेशालय के संगठनात्मक ढ़ांचे में कुल 101 पद सृजित किये गये थे। राज्य योजना आयोग / नियोजन निदेशालय के संगठनात्मक ढ़ांचे को एकीकृत करते हुए पुनर्गठित कर राज्य योजना आयोग हेतु अब उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 10 अक्टूबर, 2002 एवं कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03 जून, 2005 को अतिक्रमित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुलग्नक–1 के अनुसार पुनर्गठित ढ़ांचे में कुल 126 पदों को कार्यालय ज्ञाप निर्गत करने की तिथि से 28 फरवरी, 2021 तक के लिए, बशर्ते कि उक्त पद इसके पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जायं, सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त पदों पर वेतन के साथ–साथ शासन द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार अनुमन्य महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

3– उक्त पद सृजन के फलस्वरूप तद्विषयक संवर्गों में अस्थाई नियुक्ति के रूप में माने जायेंगे।

4– समूह "ग" के गैर तकनीकी पद व समूह "घ" के पदों पर यथासम्भव प्रथम वरीयता प्रदेश के छंटनीशुदा कर्मियों / सरप्लस पूल को दी जायेगी और ऐसे कार्मिक उपलब्ध न होने पर यथाप्रवृत्त नियमों का अनुपालन करते हुए नियुक्तियां की जायेंगी।

5– राज्य योजना आयोग के संरचनात्मक ढ़ांचे में पूर्व में सृजित अनुसचिवीय संवर्ग में समीक्षा अधिकारी लेवल–6 एवं सहायक समीक्षा अधिकारी लेवल–5 के पदों पर वर्तमान में कार्मिक तैनात है जैसे ही उक्त पद कार्मिक की सेवानिवृत्ति अथवा अन्य कारणों से रिक्त हो जायेंगे तो उक्त पद स्वतः ही मृत संवर्ग के माने जायेंगे। स्थापना अनुभागों में सीधी भर्ती कम्प्यूटर सहायक के पद पर ही होगी।

6– उक्त पदों पर होने वाला व्यय सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–7 के लेखाशीर्षक–3451–सचिवालय आर्थिक सेवायें–00–आयोजनेत्तर–092–अन्य कार्यालय–03–नियोजन अधिष्ठान की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

7– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–56 / XXVII(7) / 2020, दिनांक 06.05.2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संख्या 90/XXVI/2019–एक(10)/2019, दिनांक 18 मई, 2020

राज्य योजना आयोग का पुनर्गठित संरचनात्मक ढ़ांचा

अनुलग्नक–1

क्र. सं.	पूर्व सृजित पदनाम	पूर्व में सृजित पदों की संख्या	वेतन मैट्रिक्स लेवल	वर्तमान पदनाम	वर्तमान में सृजित पदों की संख्या	वेतन मैट्रिक्स लेवल
1	2	3	4	5	6	7
1.	पदेन, प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन, सदस्य सचिव	–	–	सदस्य सचिव	01	पदेन प्रमुख सचिव/ सचिव नियोजन (अपने संवर्ग के अनुसार)
2.	पदेन, अपर सचिव, नियोजन, अपर सचिव सदस्य	–	–	अपर सदस्य सचिव	01	पदेन अपर सचिव नियोजन (अपने संवर्ग के अनुसार)
(अ) शोध संवर्ग						
1.	निदेशक	01	37400–67000 (8900)	निदेशक	01	लेवल– 13क (131100–216600)
2.	विशेषज्ञ, एम.आई.एस.	01	37400–67000 (8900)	तकनीकी विशेषज्ञ	01	लेवल–13 (123100–215900)
3.	मुख्य समन्वय अधिकारी	01	37400–67000 (8900)	मुख्य समन्वय अधिकारी	–	लेवल– 13क (131100–216600)
4.	अपर निदेशक	01	37400–67000 (8700)	अपर निदेशक	01	लेवल– 13 (123100–215900)
5.	संयुक्त निदेशक	03	15600–39100 (7600)	संयुक्त निदेशक	03	लेवल– 12 (78800–209200)
6.	वरिष्ठ शोध अधिकारी	07	15600–39100 (6600)	वरिष्ठ शोध अधिकारी	07	लेवल– 11 (67700–206700)
7.	शोध अधिकारी	10	15600–39100 (5400)	शोध अधिकारी	12	लेवल– 10 (56100–177500)
8.	समन्वय अधिकारी	01	9300–34800 (4200)	–	–	01 पद समर्पित
9.	शोध सहायक	10	9300–34800 (4600)	अपर शोध अधिकारी	10	लेवल– 7 (44900–142400)
10.	समन्वय सहायक	01	9300–34800 (4200)	–	–	01 पद समर्पित
11.	अन्वेषक कम संगणन	10	9300–34800 (4200)	सहायक शोध अधिकारी	12	लेवल– 6 (35400–112400)
12.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	04	5200–20200 (2800)	डाटा एन्ट्री आपरेटर	06	सेवायें आउटसोर्स
	योग (अ)–	50	–	–	53	02 पद समर्पित
(ब–1) वाह्य सहायतित परियोजना प्रकोष्ठ						
1.	–	–	–	प्रोजेक्ट मैनेजमैन्ट एक्सपर्ट	01	1.25 लाख नियत (सेवायें आउटसोर्स
2.	–	–	–	फाईनेन्स एक्सपर्ट	01	1.00 लाख नियत (सेवायें आउटसोर्स
3.	–	–	–	टैक्नीकल फील्ड आफिसर	01	1.25 लाख नियत (सेवायें आउटसोर्स
4.	–	–	–	एम.आई.एस. एक्सपर्ट	01	50 हजार नियत (सेवायें आउटसोर्स

1	2	3	4	5	6	7
5.	–	–	–	सहायक शोध अधिकारी	1	लेवल– 7 (44900–142400)
6.	–	–	–	डाटा एन्ट्री आपरेटर	02	सेवायें आउटसोर्स
7.	–	–	–	परिचारक	01	सेवायें आउटसोर्स
	योग (ब–1)–	–	–	–	08	

(ब–2) ई0एफ0सी0 एवं टी0ए0सी0 प्रकोष्ठ

1.	वरिष्ठ शोध अधिकारी (अभि.)	01	15600–39100 (6600)	–	–	01 पद समर्पित
2.	शोध अधिकारी (अभि.)	02	15600–39100 (5400)	–	–	02 पद समर्पित
3.	शोध सहायक (अभि.)	02	9300–34800 (4200)	–	–	02 पद समर्पित
4.	–	–	–	सलाहकार अभियान्त्रिकी	04	1.00 लाख नियत
5.	–	01	–	अधीक्षण अभियन्ता	01	लेवल– 13 (प्रतिनियुक्ति) (123100–215900)
6.	–	01	–	अधिशासी अभियन्ता (सिविल)	01	लेवल– 11 (प्रतिनियुक्ति) (67700–208700)
7.	–	03	–	सहायक अभियन्ता (सिविल)	02	लेवल– 10 (प्रतिनियुक्ति) (56100–177500)
8.	–	01	–	सहायक अभियन्ता (वि./या.)	01	लेवल– 10 (प्रतिनियुक्ति) (56100–177500)
9.	–	02	–	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	02	लेवल– 7 (प्रतिनियुक्ति) (44900–142400)
10.	–	02	–	कनिष्ठ अभियन्ता (वि./या.)	01	लेवल– 7 (प्रतिनियुक्ति) (44900–142400)
11	–	04	–	मानचित्रकार	–	04 पद समर्पित
12	–	–	–	समीक्षा अधिकारी	–	–
13.	–	–	–	डाटा एन्ट्री आपरेटर	04	सेवायें आउटसोर्स
14.	–	–	–	परिचारक	01	सेवायें आउटसोर्स
	योग (ब–2)–	21	–	–	17	09 पद समर्पित

(ब–3) जी0आई0एस0 प्रकोष्ठ

1.	–	–	–	जी0आई0एस0 विशेषज्ञ	01	रू0 1.00 लाख नियत (सेवायें आउटसोर्स
2.	–	–	–	मैनेजर आई0टी0	01	रू0 50 हजार नियत (सेवायें आउटसोर्स

1	2	3	4	5	6	7
3.	–	–	–	जी0आई0एस0 टैक्निशियन	02	रू0 25 हजार नियत (सेवायें आउटसोर्स
4.	–	–	–	जी0आई0एस0 विश्लेषक	01	रू0 10 हजार नियत (सेवायें आउटसोर्स
योग (ब–3)–		–			05	
महायोग (ब–1+2+3)–		21	–	–	30	
(स) हिमालयन सैल						
1.	–	–	–	विशेषज्ञ	01	अन्तिम आहरित वेतन में शुद्ध पेंशन घटाकार अथवा प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण अथवा रू0 50 हजार नियत
2.	–	–	15600–39100 (5400)	शोध अधिकारी	01	सीधी भर्ती से लेवल–10 (56100–177500)
3.	–	–	–	कम्प्यूटर आपरेटर	01	(सेवायें आउटसोर्स)
योग (स)–		–	–	–	03	
(द) अधिष्ठान संवर्ग						
1.	उप सचिव	01	15600–39100 (7600)	उप सचिव	01	लेवल–12 (78800–209200)
2.	अनु सचिव	01	15600–39100 (6600)	अनु सचिव	01	लेवल– 11 (67700–206700)
योग		02	–	–	02	
स्थापना अनुभाग						
1.	अनुभाग अधिकारी	01	9300–34800 (4200)	अनुभाग अधिकारी	01	लेवल– 06 (35400–112400)
2.	प्रशासनिक अधिकारी	–	–	प्रशासनिक अधिकारी	01	लेवल– 07 (44900–142400)
3.	समीक्षा अधिकारी	03	9300–34800 (4200)	समीक्षा अधिकारी	03	लेवल– 6 (मृत संवर्ग) (35400–112400)
4.	प्रधान सहायक	–	–	प्रधान सहायक	01	लेवल– 6 (35400–112400)
5.	सहायक समीक्षा अधिकारी	04	5200–20200 (2800)	सहायक समीक्षा अधिकारी	01	लेवल– 5 (मृत संवर्ग) (29200–92300)
6.	वरिष्ठ सहायक	–	–	वरिष्ठ सहायक	02	लेवल– 5 (29200–92300)
7.	कम्प्यूटर टाईपिस्ट	05	5200–20200 (1900)	कम्प्यूटर सहायक	05	लेवल– 3 (21700–69100)
योग (स्थापना अनुभाग)–		13	–	–	14	
लेखा अनुभाग						
1.	वित्त नियंत्रक	–	–	वित्त नियंत्रक	01	अपने संवर्ग के अनुसार (वित्त सेवा से)
2.	लेखकार/ कोषाध्यक्ष	01	9300–34800 (4200)	लेखकार/ कोषाध्यक्ष	01	लेवल– 6 (35400–112400)
3.	सहायक लेखकार	02	5200–20200 (2800)	सहायक लेखकार	02	लेवल– 5 (29200–92300)
योग (लेखा अनुभाग)–		03	–	–	04	

1	2	3	4	5	6	7
निजी सचिव/अपर निजी सचिव संवर्ग						
1.	निजी सचिव	02	9300–34800 (4200),	वैयक्तिक अधिकारी	02	लेवल– 7 (44900–142400)
2.	अपर निजी सचिव	04	9300–34800 (4200)	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	03	लेवल– 6 35400–112400)
	योग	06	–	–	05	
कम्प्यूटर प्रोग्रामर संवर्ग						
1.	वरिष्ठ कम्प्यूटर प्रोग्रामर	01	15600–39100 (5400)	वरिष्ठ कम्प्यूटर प्रोग्रामर	01	लेवल– 10 (56100–177500)
2.	प्रोग्रामर	–	15600–39100 (5400)	प्रोग्रामर	01	लेवल– 8 (47600–151100)
3.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	01	9300–34800 (4800)	सहायक प्रोग्रामर	01	लेवल– 8 (47600–151100)
	योग	02	–	–	03	
1.	पुस्तकालयाध्यक्ष	01	9300–34800 (4200)	समर्पित	–	01 पद समर्पित
2.	पुस्तकालय सहायक	01	5200–20200 (1900)	पुस्तकालय सहायक	–	पद समर्पित
3.	वाहन चालक	05	5200–20200 (1900)	वाहन चालक	04	मय वाहन सेवायें आउटसोर्स
4.	अनु सेवक	12	5200–20200 (1800)	परिचारक	08	सेवायें आउटसोर्स
5.	फोटो स्टेट आपरेटर	01	5200–20200 (1900)	समर्पित	–	01 पद समर्पित
	योग	20	–	–	12	03 पद समर्पित
	योग (द)–	46	–	–	40	
	महायोग (अ+ब+स+द)–	117			128	कुल 14 पद समर्पित किये गये हैं।

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,
सचिव।

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–4

प्रोन्नति / विज्ञप्ति

02 जून, 2020 ई0

संख्या 370 / XXXI(4) / 20 / –03(विविध) / 2015–उत्तराखण्ड सचिवालय लेखा संवर्ग के अन्तर्गत श्री उल्लास भटनागर, अनुभाग अधिकारी (लेखा) को विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर नियमित चयनोपरांत अनु सचिव (लेखा), वेतनमान ₹ 67,700–2,08,700 पे– मैट्रिक्स लेवल–11 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. उक्त पदोन्नत अधिकारी को अनु सचिव (लेखा) के पद पर 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

3. श्री उल्लास भटनागर अनु सचिव लेखा अनुभाग–08 एवं 10 का कार्यभार ग्रहण कर इसकी सूचना सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–04 को उपलब्ध करायेंगे। इसके अतिरिक्त श्री भटनागर अग्रिम आदेशों तक अनुभाग अधिकारी लेखा अनुभाग–08 का कार्य भी देखेंगे।

4. उक्त प्रोन्नति अस्थाई है तथा भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ0प्र0 सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते है तो तद्क्रम में वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथावश्यक परिवर्तित / प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

आज्ञा से,

भूपाल सिंह मनराल,
सचिव।

कार्यभार–प्रमाणक

02 जून, 2020 ई0

संख्या 08 / XXXI(19) / 2020–प्रमाणित किया जाता है कि सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय आदेश संख्या 369 / XXXI(4)/20/03(विविध) / 2015 दिनांक 02 जून, 2020 के क्रम में जैसा कि इसमें व्यक्त किया गया है, के अनुपालन में उप सचिव (लेखा) वेतनमान ₹ 78800–209200 पे मैट्रिक्स लेबल–12 के पद पर कार्यभार आज दिनांक 02 जून, 2020 के पूर्वाहन में ग्रहण कर लिया गया है।

अवमोचक अधिकारी,

नरेन्द्र सिंह,
उप सचिव (लेखा)
सचिवालय प्रशासन (लेखा)।

प्रतिहस्ताक्षरित,

भूपाल सिंह मनराल,
सचिव (प्रभारी)
सचिवालय प्रशासन, कार्मिक एवं सर्तकता,
उत्तराखण्ड शासन।

कार्यभार–प्रमाणक

02 जून, 2020 ई0

संख्या 09/XXXI(19)/2020–प्रमाणित किया जाता है कि सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय आदेश संख्या 370/XXXI(4)/20/03(विविध)/2015 दिनांक 02 जून, 2020 के क्रम में जैसा कि इसमें व्यक्त किया गया है, के अनुपालन में अनु सचिव (लेखा) वेतनमान ₹ 67,700–2,08,700 पे मैट्रिक्स लेबल–11 के पद पर कार्यभार आज दिनांक 02 जून, 2020 के पूर्वाहन में ग्रहण कर लिया गया है।

अवमोचक अधिकारी,

उल्लास भटनागर,
अनु सचिव (लेखा)
सचिवालय प्रशासन (लेखा)।

प्रतिहस्ताक्षरित,

भूपाल सिंह मनराल,
सचिव (प्रभारी)
सचिवालय प्रशासन, कार्मिक एवं सर्तकता,
उत्तराखण्ड शासन।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 19 हिन्दी गजट/192–भाग 1–2020 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 13 जून, 2020 ई0 (ज्येष्ठ 23, 1942 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, AT - NAINITAL

NOTIFICATION

May 26, 2020

No. 100/UHC/Admin.B/2020--In view of COVID-19 pandemic, and the restrictions put in place by the appropriate authorities, Hon'ble the Court, has been pleased to issue following directions for the functioning of Subordinate Courts, which shall be inforce till further orders.

1. Court proceedings shall be conducted as per the directions issued vide letter no. 2191/UHC/Admin. B/2020 Dated: May 26, 2020.

2. Before opening of a Court, District Judge shall ensure complete sanitisation and cleaning of entire court campus, particularly sanitisation of the court rooms, which will be functional on that day.

3. In addition to extremely urgent matters such as, Bail Applications, Remand matters, Injunctions/stay applications and Statement under Section 164 CrPC, being taken up till now, District and Sessions Judge of each district may also consider court working in the following nature of cases, considering that it will not involve any major appreciation of evidence, and their disposal can be made easily.

A. Traffic challan cases under the Motor Vehicles Act.

B. Cases which have reached a stage and now to be decided by settlement or compromise between the parties.

C. Confessions.

D. Release of vehicles.

E. Petty cases relating to Excise Act.

F. MACT cases.

G. Criminal revisions.

H. Civil revisions.

I. Statement of accused under Section 313 Cr.P.C.

J. Matter relating to Section 251 Cr.P.C.

4. Apart from that, there are special nature of cases, such as cases under POCSO where at least the child victim should be examined without delay. In such cases the court concern shall make effort to examine the witness without further delay, after adopting due process.

5. For criminal trials where the entire prosecution witnesses have been examined, the statement of the accused must be recorded immediately under Section 313 of Cr.P.C. and where the defence does not have any witness for examination or where defence witnesses have also been examined, the court may list the case for arguments.

6. The same goes for civil trials as well. Where all the witnesses have been examined, the matter may be fixed for arguments with consent of both the parties.

7. All other matters shall be adjourned suitably subject to further directions, where all the concerned parties and stake holders shall be informed.

8. Copy of each bail application be provided to the Prosecution/DGC and arrangement must be made for communicating the same to them and a mechanism must be in place to ensure that the Public Prosecutor/DGC is well communicated of these applications. As far as possible, the bail application be decide on the same day itself, particularly for minor offences.

9. Such lawyers who have urgent matter before the court but would like to argue through video-conferencing shall be permitted to do the same, depending upon the functioning and the availability of video conferencing facility in the courts.

10. The concerned District & Sessions Judge are authorized to depute only bare essential judicial officers on rotational basis in each court complex for hearing of the above urgent matters. Only these officers will be required to come to the court as they have been deputed by the concerned District & Sessions Judge for the urgent court work. The remaining judicial officers, however, though shall not attend the office, but nevertheless shall remain available at home during office timings.

11. No officer shall leave the station without prior intimation to the concerned District Judge and approval from the concerned Administrative Judge. It is made clear that unless and until an approval/permission is conveyed to such a judicial officer, he shall not leave the station. In other words, leave applications hereinafter shall not be given on a routine basis.

12. Only bare essential court staff required to manage the above urgent work shall be called in the campus on rotation basis. Sitting arrangement of the staff, whether in the court or in the office or at any other place shall be in such a manner which shall strictly maintain the required physical distance. The remaining staff which is not being asked to come to the court shall, however, remain available at home during official timings.

13. Staff members shall not leave the station without prior intimation to the concerned Judicial Officer and approval from the concerned District Judge. It is made clear that unless and until an approval/permission is conveyed to such a staff, he shall not leave the station. In other words, leave applications hereinafter shall not be given on a routine basis.

14. The judicial officers who have been deputed for urgent work shall hold court between 10:30 a.m. to 02:00 p.m. Each District Judge, however, shall be at liberty to make adjustment in the court timings depending upon the restrictions in the District and convenience of litigants and lawyers.

15. In order to minimize the physical presence of lawyers, litigants and para legals in the court rooms, the furniture of each court room, if required, be rearranged. Minimum of chair/table be placed to ensure physical distancing. If need be, there should not be more than 4 to 6 chairs in a court room at a required place. Similarly, the distance of the dias be appropriately adjusted. Lawyers will now have to address the court from a proper distance.

16. The court shall not insist on the presence of the parties, except in extremely urgent and essential cases where the presence cannot be dispensed with.

17. No adverse order shall be passed for non-appearance of the parties and the request for exemption of accused/complainant/witness shall be accordingly considered.

18. The court concerned shall ask the lawyer, in advance to submit a soft copy of the application online. For this purpose a dedicated email be created (unless already done) by each district court. This shall also be widely published on the website of the district court. All the same, where it is not possible, the court shall not insist and accept a hard copy. While doing so all necessary precaution regarding sanitisation, etc. shall be taken. For these purposes court-wise drop boxes may be placed at an appropriate place in the court premises, so that the lawyers/litigants may drop the urgent

applications in such boxes. Same may also be done for copying department. Documents collected in these drop boxes shall not be touched/handled by the staff same day, but shall be kept within the drop box at a dedicated place after the expiry of time. These documents would be taken out from the drop boxes next day at 09:30 a.m. and shall be sent to the court concerned/copying department for further necessary action. Lawyers/litigants may drop their applications in these drop boxes between 10:30 A.M. to 01:30 P.M. on each working day.

19. The District & Sessions Judge of each district shall apprise the concerned Bar Association through its office bearers and request them to spread awareness amongst the Bar members, so that they may only come to the Court, when they are urgently required, and may also persuade the litigants not to visit the court campus, unless it is extremely urgent.

20. The entry of law students and interns shall remain prohibited in court campus until further orders.

21. Entry of Oath Commissioners, Stamp vendors and typists shall be limited and one or maximum two of oath commissioners, stamp vendors and typists shall be allowed to provide their services in the court campus. Changes be made of oath commissioners, stamp vendors and typists on rotational basis, so that each may get a chance.

22. Subject to its size and area of jurisdictions, same restrictions which are applicable in the district court campus will also be applicable for all outlying courts.

23. To avoid public gathering and crowd, no function or any event of mass gathering shall be permitted in the court campus.

24. Mediation proceedings shall be held only by video conferencing unless it is extremely urgent and that can be seen by the concerned judicial officer, on case to case basis.

25. No lawyer shall be allowed to come and sit in his chamber, which is in the court campus. Unless these chambers have already been sealed by the court, the District & Sessions Judge shall take cooperation of the concerned Bar Association in closing down these chambers so that lawyers and litigants do not gather at these places.

26. Since chambers of lawyers will be closed down, the learned District Judge shall provide chairs outside the court and court campus where persons may sit, by making a distance.

27. All canteens, cafeterias, eating joints or shops of any kind be closed in the court campus, until further orders.

28. Recording of evidence in civil and criminal cases may be postponed, except permitted in this Notification.

29. Inspection of files and records may be stopped for a period of one month.

30. Copy of judgments/orders be made available to the litigants online to ensure that they do not visit the Court complex for this purpose.

31. All the lawyers, para-legals, litigants and witnesses, who enter the court campus should mandatorily be wearing a mask.

32. Each lawyer, para-legal, litigant, witness or any person must undergo thermal screening before they enter the court campus.

33. Only the arguing counsel for the case shall appear in the matter, unless there are plausible reasons shown for appearance of a second lawyer. Meaning one lawyer for each case on a side.

34. Only the lawyer or the litigant whose case has been called shall be present in the case. The remaining in the list may wait outside the court for their turn, as and when their case is called out.

35. A distance of minimum 6 feet shall be maintained between the contesting lawyers. The same distance shall also be maintained between the arguing counsels and the Presiding Judge.

36. Litigant, witness or accused will not be required to sign on any paper, as a mark of his presence in the court. Signature of the Presiding Officer shall be sufficient provided he makes a record of the presence of the concerned parties.

37. Hand sanitizers shall be provided outside of each court room as well as in the offices for use of advocates, court staff as well as litigants. The same goes for the chamber of judicial officers.

38. The court staff which deals with the court files and comes in frequent contact with lawyers, litigants and other visitors shall be provided with suitable mask, gloves as well as sanitizers for regular use during working hours, which shall be provided to them free of cost.

39. In all the court rooms and office, toilets, doors, handles, chairs, tables, gate, railings and other things and other places shall be disinfected regularly, at-least twice a day by fumigation of hypo-chloride and benzoic acid.

40. Smoking and chewing of tobacco products in the Court campus shall be banned and anyone found spitting in the Court campus shall be penalized. This shall also be widely circulated.

41. Subject to the above directions, depending upon any unique contingency, the District Judge shall take appropriate decisions in the matter, though he/she shall promptly inform the Hon'ble Court/concerned Hon'ble the Administrative Judge.

By Orders of the Hon'ble Court,

Sd/-

HIRA SINGH BONAL,

Registrar General.

NOTIFICATION

June 01, 2020

No. 105/UHC/Admin.B/2020–Whereas, Notification No. 99/UHC/Admin.B/2020 dated 19.05.2020 has been issued for transaction of business of the High Court of Uttarakhand with normal case filing and hearing through Video Conferencing,

Whereas, the State Government *vide* their orders dated 31.05.2020, have classified District Nainital as Red Zone, with certain restrictions on public movements and activities,

Whereas, it is the considered view of Hon'ble the Chief Justice that litigants residing in other parts of the State may face practical difficulties in performing journeys and making visits to Nainital for getting the petitions, applications, affidavits *etc.* prepared and signed there,

Whereas, difficulties may also be experienced by advocates and litigants in sending certified copies of judgments and orders of the High Court to other parts of the State,

Whereas, there are also some requests for additional time for filing of duly signed copies of Petitions, Applications, Replies, Counters, Papers, Documents *etc.*, copies of which were e-filed under the Notification No. 86/UHC/Admin.B/2020 dated 11.04.2020 of the High Court of Uttarakhand,

Therefore, having considered all the facts and circumstances, Hon'ble the Chief Justice is pleased to issue followings directions, to be applicable with Notification No. 99/UHC/Admin.B/2020 dated 19.05.2020, and till further orders-

1. Where print outs of scanned copies of the Petitions, Applications, Replies, Affidavits, Counter Affidavits, Papers, Documents *etc.*, duly signed by the parties, are filed by advocates with applications and undertakings that the actual and ink signed copies thereof shall be filed within two weeks from filing of print outs of such scanned copies, the print outs, duly attested by the advocates in their own signatures with full name and Bar registration number, be entertained by the Registry for purpose of case filing.
2. In particular, where print out of scanned copy of a affidavit duly signed by the party and sworn before a Public Notary, is filed by an advocate with application and undertaking that the actual and ink signed copy of such affidavit, shall be filed within two weeks, the print out of the scanned copy, duly attested by the advocate in his own signature with full name and Bar registration number, be entertained by the Registry for purpose of filing.
3. Where, print outs of the scanned copies are filed as above, soft copies thereof shall also be provided to the Registry by e-mail to the given e-mail addresses.

4. Where print out of a judgment/order, uploaded in CIS/DJDG, is presented before any Court/Tribunal subordinate to the High Court or before any Authority or Person, the authenticity of such judgment/order shall be ascertained by such Court/Tribunal or Authority or Person by comparing the same with the judgment/order uploaded in CIS/NJDG, and wherever, authenticity has been so ascertained, the said Court/Tribunal, Authority or Person shall not press for the certified copy, and shall act upon it, as if the judgement/order, as presented above, is the certified copy.
5. The time for filing of hard and duly signed copies of Petitions, Applications, Replies, Counters, Papers, Documents *etc.*, copies of which were e-filed under the Notification No. 86/UHC/Admin.B/2020 dated 11.04.2020 of the High Court of Uttarakhand, is extended till 15.06.2020 (Monday).

By Orders of Hon'ble the Chief Justice,

HIRA SINGH BONAL,
Registrar General.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

June 03, 2020

No. 106/XIV/a-23/Admin.A/2010--Shri Sahdev Singh, 1st Additional District & Sessions Judge, Hardwar is hereby sanctioned medical leave for 25 days *w.e.f.* 30.01.2020 to 23.02.2020.

NOTIFICATION

June 03, 2020

No. 107/XIV-95/Admin.A/2003--Ms. Kusum, Judge, Family Court, Almora is hereby sanctioned medical leave for 44 days *w.e.f.* 10.02.2020 to 24.03.2020.

NOTIFICATION

June 05, 2020

No. 108/XIV-a/39/Admin.A/2009--Ms. Jyotsna, Additional Judge, Addl. Family Court, Rishikesh, District Dehradun is hereby sanctioned child care leave for 26 days *w.e.f.* 17.02.2020 to 13.03.2020 with permission to prefix 16.02.2020 as Sunday holiday and suffix 14.03.2020 &15.03.2020 as holidays, in terms of Office Memorandum No. 11/XXVII(7)34/2011 dated 30.05.2011, issued by Government of Uttarakhand.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

कार्यालय जिलाधिकारी गढवाल

Email dmgarhwal@gmail.com phone;01368&222250@Fax:222080

भूमि अर्जन हेतु प्रारम्भिक अधिसूचना (अनुपूरक)

परियोजना का नाम–उत्तराखण्ड राज्य में 126 किमी0 ऋषिकेश कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण।

23 मई, 2020 ई0

संख्या 129/आठ–भू0अ0(2019–20) पौड़ी–उत्तराखण्ड राज्य में प्रस्तावित विशेष रेल परियोजना, अर्थात ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई ब्राड गेज रेल लाईन के निर्माण के लिए पौड़ी जिले के अन्तर्गत ग्राम जनासू की 13.226 है0 निजी नाप भूमि का अर्जन "भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम संशोधन अध्यादेश, 2014 के अन्तर्गत किया गया है।

ग्राम जनासू में पूर्व अर्जित क्षेत्रफल 13.226 है0 के अतिरिक्त ग्राम जनासू में रेलवे संरेखण के अन्तर्गत स्थित 0.056 है0 अतिरिक्त निजी नाप भूमि का अनुपूरक भू–अर्जन प्रस्ताव रेल विकास निगम द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तावित नाप भूमि (संरचना सहित या उसके बिना) जिसका अर्जन भारतीय रेल (भारत सरकार) के नाम पर "भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम संशोधन अध्यादेश, 2014 के अन्तर्गत किया जाना है। जिसका संयुक्त निरीक्षण रेल विकास निगम लि0 के साथ किया गया का विवरण निम्नवत है:–

क्र0 सं0	खा0 सं0	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (है0में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
							उ0	द0	पू0	प0	उद्यान	वन	प्रकार	कुर्सी क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	45	283	संयुक्त	कृषि	0.011	राजेन्द्र सिंह पुत्र भरत सिंह आदि	368	371	460	285	–	–	–	–
1.	45	371	संयुक्त	कृषि	0.004	राजेन्द्र सिंह पुत्र भरत सिंह आदि	383	370	372	370	–	–	–	–
2.	8	372	संयुक्त	कृषि	0.020	अरूण जोशी पुत्र उमाशंकर आदि	383	374	373	371	–	–	–	–
3.	23	400	संयुक्त	कृषि	0.021	रघुनाथ सिंह पुत्र कुवंर सिंह आदि	376	401	412	399	–	–	–	–
	योग	4	–		0.056	–	–	–	–	–	–	–	–	–

यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा–11(1) के उपबन्धों के अधीन जारी की गयी है।

भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलक्टर के कार्यालय में और रेल विकास निगम श्रीकोट के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट राजस्व एवं अर्जन निकाय के अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य में उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा–11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा, अर्थात, क्रय–विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा–15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो स्वयं उपस्थित होकर या बजरिये अधिवक्ता के माध्यम से फाईल किये जा सकेगें।

स्थान–पौड़ी

दिनांक 23.05.2020

धीराज सिंह गर्ब्याल,

कलक्टर, गढवाल।

कार्यालय राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड

(विधि–अनुभाग)

14 मई, 2020 ई0

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0), राज्य कर,
देहरादून/हरिद्वार/रुड़की/रुद्रपुर/हल्द्वानी सम्भाग।

पत्रांक 141/रा0कर आयु0 उत्तरा0/रा0क0मु0/विधि–अनुभाग/2020–21/देहरादून–उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग–8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 277/2020/146(120)/XXVII(8)/2008 दिनांक 08 मई, 2020 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची III के क्रमांक 2 एवं 3 पर विद्यमान प्रविष्टि में संशोधन किया जाना अधिसूचित किया गया है

उपरोक्त अधिसूचना की प्रति आपको इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना

08 मई, 2020 ई0

संख्या 277/2020/146(120)/XXVII(8)/2008–चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27, वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 01, वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के जारी होने की अगली तारीख से, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची III में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

संशोधन

अनुसूची–III के क्रमांक 2 तथा 3 पर विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी, अर्थात–

क्र0 सं0	माल का विवरण	कर का बिन्दु	कर की दर
2.	मोटर स्प्रिट जो संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल ऑयल और अल्कोहल विक्रय कराधान अधिनियम, 1939 के अधीन यथा परिभाषित है।	नि0 या आ0	25 प्रतिशत या ₹ 19 प्रति लीटर, जो भी अधिक हो
3.	डीजल ऑयल जो संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल ऑयल और अल्कोहल विक्रय कराधान अधिनियम, 1939 के अधीन यथा परिभाषित है।	नि0 या आ0	17.48 प्रतिशत या ₹ 10.41 प्रति लीटर, जो भी अधिक हो

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 277/2020/146(8)/XXVII(8)/2008,** dated May 08, 2020 for general information.

May 08, 2020

No. 277/2020/146(8)/XXVII(8)/2008--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No.1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor, is pleased to allow, with effect from the next date of the issuance of this notification, the following amendment in Schedule III of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005:

Amendment

In Schedule III for the existing entry at serial no 2 and 3, the following entry shall be substituted, namely:-

Sr. No.	Description of goods	Point of Tax	Rate of tax
2.	Motor Spirit as defined under the United Provinces Sales of Motor Spirit, Diesel oil and Alcohol Taxation Act, 1939	M or I	25 percent or Rs.19 per litre, whichever is higher.
3.	Diesel as defined under the United Provinces Sales of Motor Spirit, Diesel oil and Alcohol Taxation Act, 1939	M or I	17.48 percent or Rs.10.41 per litre, whichever is higher.

By Order,
AMIT SINGH NEGI,
Secretary.

विपिन चन्द्र,
अपर आयुक्त (वि0वे0) राज्य कर,
मुख्यालय, देहरादून।

कार्यालय जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण, उत्तराखण्ड

कार्य भार छोड़ने का प्रमाण–पत्र

30 मई, 2020 ई0

सं0–01/जि0पु0शि0प्रा0/2019–20–उत्तराखण्ड शासन के गृह अनुभाग–1 संख्या–1676/XX(1)-2017-13(2)2007 दिनांक 03.01.2017 के अनुपालन मे मेरे द्वारा दिनांक 30.05.2017 में अध्यक्ष के रूप में जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण, देहरादून में कार्य भार ग्रहण किया गया था, जिसकी अवधि दिनांक 30.05.2020 को समाप्त हो रही है।

अतः उत्तराखण्ड जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण, देहरादून में अध्यक्ष के पद से अद्योहस्ताक्षरी द्वारा आज दिनांक 30.05.2020 अपराह्न को कार्य भार छोड़ दिया गया है।

के0डी0भटट,
अध्यक्ष,
जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड देहरादून।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 19 हिन्दी गजट/192–भाग 1–क–2020 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 13 जून, 2020 ई0 (ज्येष्ठ 23, 1942 शक सम्वत्)

भाग 7

इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

आदेश

दिनांक : 09 मार्च, 2020 ई0

संख्या 76/उत्तराखण्ड–लो0स0/2020 (2)–यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन मार्च, 2019 के लिये जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन–क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथादर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे है;

और यतः, उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए एतद्द्वारा निरर्हित घोषित करता है:–

सारणी

क्र0 सं0	निर्वाचन का विवरण	लोक सभा निर्वाचन–क्षेत्र की क्रम सं0 एवं नाम	निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी का नाम और पता	निरर्हता का कारण
1	2	3	4	5
1.	लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन–2019	05–हरिद्वार	श्री बची सिंह, म0न0 567 लक्सर, जिला–हरिद्वार	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

आदेश से,
राहुल शर्मा,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

ORDER

9th March, 2020

No. 76/ECI/UKD-HP/2020 (2)--Whereas, the Election Commission of India satisfied that the contesting candidates specified in column (4) of the table below at the General Election to the House of People, 2019 as specified in column (2) and held from the constituency specified in column (3) against his/her name, have failed to lodge account of their election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and Rules and Order made there under, as shown in column (5) of the said Table; and

Whereas, the said candidates have not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice and the Election Commission is thus satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the Representation of the People Act, 1951 the Election Commission, hereby declares the persons specified in column (4) of the table below to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order:-

TABLE

S.No.	Particulars of Election	No. and Name of Parliamentary Constituency	Name and Address of Contesting Candidate	Reason for Disqualification
1	2	3	4	5
1.	General Election to the House of Person-2019	05-Haridwar	Shri Bachi Singh H.N. 567, Laksar, Distt.-Haridwar	Failure to lodge the accounts of election expenses.

By Order,

RAHUL SHARMA,

Secretary,

ELECTION COMMISSION OF INDIA.

मस्तू दास,

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,

उत्तराखण्ड।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 19 हिन्दी गजट/192–भाग 7–2020 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 13 जून, 2020 ई0 (ज्येष्ठ 23, 1942 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून, उत्तराखण्ड

आवश्यक सूचना

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड)

25 जनवरी, 2020 ई0

पत्रांकः 1859/11/09/स्वा0 वि0/2019–20–नगर निगम ऋषिकेश जनपद देहरादून, सीमान्तर्गत उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त अधिनियम 1959 की धारा 541 (1) प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर निगम ऋषिकेश द्वारा "फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय उपनियम–2019" जिन पर इस अधिनियम का प्रभाव पड़ने वाला हो नगर निगम सदन द्वारा अनुमोदन स्वीकृति उपरान्त प्रस्ताव सं0 22 दिनांक 18–11–2019 के तहत् उपविधि का प्रकाशन आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने के उद्धेश्य से किया जा रहा है।

विधिमान्य समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि 30 दिन अर्थात् एक माह के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियॉ मुख्य नगर आयुक्त व सहायक नगर आयुक्त नगर निगम ऋषिकेश, को प्रेषित की जा सकेगी। वाद मियाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई निर्णय नहीं किया जायेगा।

अध्याय–23

सामान्य

1. **संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीखः**

(1) ये उप–नियम नगर निगम ऋषिकेश, "फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय उपनियम– 2019" कहलायेगा।

(2) ये उप–नियम नगर निगम ऋषिकेश,के सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. ये उप–नियम नगर निगम ऋषिकेश,की सीमाओं के भीतर लागू होंगे।

1. प्रसंग :

देश का विगत अनुभव दिखाता है कि सेप्टिक टैंक और अवधीय जो डिजाइन से सम्बन्धित है स्थानीय संस्थओं द्वारा वर्षो से अनुपालन किया जा रहा है वह इस समय सोचनीय प्रबंधन में है। यह महत्वपूर्ण है कि एक उचित वैज्ञानिक प्रबंध इन मामलों में/सेप्टेज का अनुपालन किया जाता है, ताकि सेप्टेज / फीकल स्लज सेप्टिक टैंक, गडढे, शौचालय, पर्यावरण नदी एवं अन्य पानी के स्रोत को प्रदूषित न करें।

1.1 राष्ट्रीय फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय नीतिः

इस पहलू को संबोधित करने हेतु शहरी विकास मंत्रालय ,भारत सरकार ने एक फार्मूला प्रकाशित किया है "राष्ट्रीय फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंध नीति" वर्ष 2017 में इस दृष्टिकोण के साथ कि समस्त भारतीय शहर और नगर पूर्ण रूप से स्वच्छ, तंदुरूस्त और जीवित बने रहे और अच्छी सफाई भी बनी रहे। जिसके साथ उन्नत स्थल स्वच्छता सेवा साथ ही फीकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधक, ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य स्तर को अधिकतम प्राप्त किया जा सके और स्वच्छ वातावरण बना रहें, जिसमें गरीबों पर ध्यान केंन्द्रित किया जायें।

शहरी नीति का मुख्य उद्धेश्य एक प्रसन्न, प्राथमिकता और दिशा निर्धारित करनी है, ताकि राष्ट्रीव्यपी अनुपालन इन सेवाओं का समस्त क्षेत्र मे हो सके। जैसे कि सुरक्षित और स्थायी सफाई व्यवस्था । एक वास्तविकता प्रत्येक परिवार के लिए गलियों मे नगर और शहरों मे बनी रह सके ।

1.2 उत्तराखण्ड में सेप्टेज प्रबंक प्रोटोकॉलः

आदरणीय एन0जी0टी0 आदेश सं0 10/2005 दिनांक 10.12.2015 में निम्न निर्देश निर्गत किये है जो कि उत्तराखण्ड में सेप्टेज प्रबंध से सम्बन्धित है। "उचित प्रबंध योजना या प्रोटोकॉल तैयार किया जायेगा और राज्य द्वारा तथा समस्त ऐंजेसी द्वारा सूचित किया जायेगा। यह आशान्वित करने के लिए कि सीवरेज की निकासी जो कि सामान्य सेप्टिक टैंक मे या बायो डाइजेस्टर में एकत्रित की जाती है। नियंमित रूप से खाली की जाये और उसका उचित प्रबंध किया जाये और उसके परिणामस्वरूप खाद जो प्रकार से एकत्रित हुई है वह निःशुल्क किसानों में वितरित की जाये और इस उद्धेश्य हेतु राज्य प्रशासन एक प्रभावी भागीदारी सम्बन्धित नगर निगम ऋषिकेश की होगी। उपरोक्त के अनुपालन में और जल आपूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम 1975/ नगर निगम अधिनियम 1959 शहरी विकास निर्देशालय जो कि उत्तराखंड जल संस्थान के समन्वय से होगा, उन्होंने एक प्रोटोकोल सेप्टेज प्रबंध के लिए तैयार किया है जो कि सचिव शहरी विकास विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा सूचित किया गया है, ताकि इसका अनुपालन शहरों/नगरों में हो सके आदेश संख्या 597/IV(2)–श0 वि0–2017–50 (सा0) /16 दिनांक 22–05–2017 राज्य का सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकोल राज्य और शहरों को यह दिग्दर्शन कराता है, ताकि वैज्ञानिक सेप्टेज प्रबंध बना रहे, जो कि एकत्रीकरण ,परिवहन, इलाज , सेप्टेज/फीकल स्लज का निस्तारण और पुनः प्रयोग हो सके। स्पष्ट दिशा–निर्देश इस प्रोटोकोल के है कि राज्य शहरी अधिकारियों को इस योग्य बनाया जाये कि वे अपने सेप्टेज प्रबंध का उच्चीकरण कर सके और परियोजना के पूर्ण विनियोग की पहचान कर सके। इस प्रोटोकोल के प्रभावी कियान्वयन के लिए और आंतरिक विभागीय समन्वय हेतु एक सेप्टेज मैनेजमेंट सेल का आयोजन किया, जिसके अंतर्गत नगर निगम ऋषिकेश , जल निगम, जल संस्थान होंगे।

2. नगरीय उपकानून/फीकल स्लज एवं सेप्टेज का नियमितकरणः

सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकोल के अनुसार जो कि शहरी विकास विभाग उत्तराखंड सरकार के शाानादेश संख्या 597/IV(2)–श0 वि0–2017–50 (सा0) /16 दिनांक 22–05–2017 एवं समस्त लागू होने योग्य नियम कानून या नियमावली नगर निगम ऋषिकेश नियमित ढांचा रिक्त करने, एकत्र करने परिवहन और सेप्टेज/फीकल स्लज के परिवहन एवं निस्तारण हेतु जैसा कि संदर्भित है। फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंध उपनियम के अंतर्गत। जो कि यहां स्वीकृत किया जाता है और इसके अनुपालन हेतु नगर निगम ऋषिकेश के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सूचित किया जाता है।

3. उद्धेश्य एवं कार्य क्षेत्रः

नियमावली के उद्धेश्य एवं कार्यक्षेत्र निम्नवत् हैः

1. निर्माण, सेप्टिक टैंक के दैनिक रखरखाव और शौचालय के गढ्ढे, परिवहन,इलाज और सुरक्षित रखरखाव, जोकि स्लज और सेप्टेज से सम्बन्धित है।
2. क्षेत्र के मालिक द्वारा जो कार्य किया जाना है, उसको निर्देश करना जोकि सेप्टिक टैंक और शौचालय के गढ्ढे से और फीकल स्लज एवं सेप्टेज परिवहन से सम्बन्धित है, ताकि वे इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर सके ।
3. उचित निरीक्षण करना और मशीनरी का अनुपालन ।
4. लागत वसूली सुनिश्चित करना जोकि स्लज के और सेप्टेज प्रबंध के उचित प्रबंध हेतु है।
5. निजी और गैर सरकारी क्षेत्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंध में सहभागी की सुविधा देना।

4. एकत्रीकरण, परिवहन, इलाज और सेप्टेज के खुर्द–बुर्द हेतु एक प्रकिया अपनानाः

4.1 सेप्टिक टैंक और सेप्टेज/फीकल स्लज एकत्रीकरण को रिक्त करनाः

- सेप्टिक टैंक की तली में जो जमा हो गया है, उसको कटाना और एक बार उसको ठीक करना, जो कि गहराई में पंहुच गया है या बार बार के आखिर में जो डिजाइन है, जो कोई भी पहले आये।
- जबकि स्लज को सुखाना और सेप्टिक टैंक में जो द्रव्य है, उसको भी सुखाना। मैकेनिकल वेक्यूम टैंकर का भी उपयोग नगरीय प्रबन्धन द्वारा सेप्टिक टैंक को खाली करने हेतु उपयोग किया जाना चाहिए।
- सुरक्षा प्रकिया जैसा कि सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकोल में वणिर्त है, को सेप्टिक टैंक के खाली करते समय और सेप्टेज के परिवहन के समय इस नियम का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

4.2 . सेप्टेज /फीकल स्लज का परिवहनः

1 फीकल स्लज और सेप्टेज ट्रांसपोर्टर वाहन के सुरक्षित परिवहन हेतु उत्तरदायी होंगे। जैसा कि समय–समय पर एस0एम0सी0 द्वारा स्वीकृत किये जायेगें।

2 फीकल स्लज और सेप्टेज परिवहन निर्माता यह आश्वासन देंगे किः

अ. पंजीकृत संग्रह वाहन जिसके अंतर्गत समस्त उपकरण जो कि परिवहन हेतु इस्तेमाल किये जायेगें फीकल स्लज और सेप्टेज हेतु। जो कि छिद्र निरोधी होगा और

फीकल स्लज और सेप्टेज हेतु ताला बंद रहेगा और लागू किये जाने योग्य मानदंड का अनुपालन करेगे

ब. कोई भी टैंक और उपकरण जो फीकल स्लज और सेप्टेज हेतु उपयोग में लाया जायेगा वह किसी अन्य वस्तु या द्रव्य को परिवहन हेतु इस्तेमाल नहीं किया जायेगा।

4.3 सेप्टेज का निष्पादन और इलाजः

राज्य सेप्टेज मैनेजमेंट प्रोटोकोल के अनुसार नगर निगम की अपनी एक इकाई होगी। अगर पहले से 25 किमी0 के अंतर्गत स्थित है तो सेप्टेज को नजदीकी एस0टी0पी0 में परिवहन किया जायेगा, अन्यथा एक अलग सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लान का निर्माण किया जायेगा।

5. सुरक्षा उपायः

1 उचित तकनीकी शयंत्र, सुरक्षा दियर का प्रयोग करते हुए मल निस्तारण किया जाना चाहिए जैसा कि उत्तराखंड राज्य सेप्टेज प्रबंधक प्रोटोकोल 2017 में वर्णित है।

2 फीकल स्लज और सेप्टेज ट्रांसपोर्टर यह आशान्वित करें किः

अ. समस्त मल निस्तारण कर्मचारी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सेफ्टी गेयर और यंत्र जिसके अंतर्गत कंधे की लंबाई तक पूरा कोटेड लियोप्रीन लोपस, रबड बूट, चेहरे का मास्क और आंखों की सुरक्षा जैसा कि रोजगार का नियंत्रण जो कि मेनवल स्कोवेंजर और उनके पुनर्वास नियम 2013 में उल्लिखित है।

ब. समस्त सुरक्षा उपकरण एकत्रीकरण क्षेत्र से पहले अपना लिया जाये।

स. समस्त मल निस्तारण कार्यकर्ताओं को सुरक्षा गियर और स्वास्थ्यवर्धक उपकरण की शिक्षा दी जानी चाहिए।

द. प्रथम सहायता किट, गैस का पता करने वाला लैंप और आग बुझाने वाला मल निस्तारण गाडी में रखे जाते है। इससे पहले कि यह एकत्रीकरण क्षेत्र में जाता है।

य. धूम्रपान जबकि सेप्टिक टैंक पिट लैट्रिन में काम चल रहा हो, धूम्रपान वर्जित है।

र. मल निस्तारण कार्यकर्ता सेप्टिक टैंक में और शौचालय गड्ढे मे प्रवेश नही करेंगें और आच्छादित टैंक को हवा के लिए आना– जाना रखेंगे, जो कि इस कार्य को शुरू करने से पहले किया जाना आवश्यक है।

ल. बच्चों को टैंक के ढक्कन से दूर रखा जाये, ताकि वे टैंक के स्क्रू और ताले से सुरक्षित रहे। कर्मचारी सावधान रहेंगे कि जब मल निस्तारण प्रकिया चल रही हो, जो कि ढक्कन पर अत्याधिक भार हेतु है या मेन हॉल का आच्छादन टूटने बचा रहे ।

6. सेप्टेज खाली करना और वाहन के पंजीकरण का परिवहनः

6.1 नगर निगम ऋषिकेश दर्ज करेगा और लाईसेंस निर्गत करेगा। निजी व्यवसायों के लिए जिनके पास मशीनीकरण खाली करना और परिवहन गाड़ी उपलब्ध हो। इस प्रकार का लाईसेंस निर्गत करने से पहले यह आशान्वित करेगा कि यह ट्रक उचित उपकरण और उचित सुरक्षा माप से सुसज्जि है। सेप्टेज ट्रांसपोर्टर और उसो पंजीकरण हेतु प्रार्थना –पत्र करेगा जो कि गाडियों के परिवहन हेतु होगा। ये निजी व्यक्ति का भी अपने इस कार्य से उत्साहित करेगे परिवहन प्रपत्र. और परपिट परिष्टि –ए, 2 में संलग्न है।

6.2 कोई भी व्यक्ति या वाहन पंजीकृत सेप्टेज ट्रांसपोर्टर द्वारा प्रयोग किया जायेगा, जो कि एकत्रीकरण परिवहन और सेप्टेज के प्रयोजन हेतु है। जब तक इसका पंजीकरण सेप्टेज ट्रांसपोट्रेशन व्हीकल एस0एम0सी0 के साथ इन प्रोटोकोलों में जब तक पंजीकृत नहीं है।

सारणी 1 पंजीकरण व्यय

अ. प्रारंभिक पंजीकरण : रू0 2,000.00 प्रति गाड़ी

ब. नवीनीकरण : रू0 1,500.00 प्रति गाड़ी

स. नाम परिवर्तन या स्वामित्व का परिवर्तन : रू0 1,000.00 प्रति गाड़ी

द. अन्य संशोधन आवश्यकतानुसार : रू 1,000.00 प्रति गााड़ी

(समस्त लागत दर 10 प्रतिशत वार्षिक के हिसाब से बढ़ेगा)

पंजीकरण व्यय जैसा कि सांकेतिक है नगर निगम बोर्ड द्वारा जो स्वीकृत है, उसमें अंतर आ सकता हैं

7. उपभोक्ता लागत और इसका संचयः

7.1 इस क्षेत्र के समस्त मालिक जो सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे जिसका भुगतान उपभोक्ता करेगा जैसा कि नगर निगम में फीकल स्लज और सेप्टेज उपनियम में समय–समय पर दर्शाया गया है जो कि सेप्टिक टैंक के भरने, शौचालय के गड्ढे, परिवहन और फीकल स्लज एवं सेप्टेज के उपाय हेतु है।

7.2 इस क्षेत्र के समस्त मालिक जिनके अपने क्षेत्र में निरर्थक पानी के निष्कासन की प्रणाली उपलब्ध है, जो कि नगर निगम कार्य एवं शिकायत हेतु प्रमाणित है और वे भी जो कि सीवर नेटवर्क से सम्बन्धित है, उनको उपभोक्ता के भुगतान से विमुक्त किया जाता है।

7.3 नगर निगम अपनी लागत संशोधित करेगा, जो कि समय–समय पर इससे सम्बन्धित है। ऐसी उपभोक्ता लागत जिसके अंतर्गत मल निस्तारण लागत परिवहन एंव फीकल स्लज और सेप्टेज के निष्कासन हेतु।

7.4 उपभोक्ता लागत क्षेत्र विशेष के स्वामी से एकत्र किये जाये जो निम्नवत है।

अ. उपभोक्ता लागत प्रत्यक्ष प्रत्येक रूप से नगर निगम द्वारा वसूल किया जायेगा या नगर निगम फंड मे जमा किया जायेगा। सम्बन्धित भवन /सेप्टिक टैंक मालिक से।

ब नगर निगम किसी भी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है जिसके अंतर्गत फीकल स्लज और सेप्टेज परिवहन जो कि उपभोक्ता लागत से एकत्र की जायेगी । जो कि उस क्षेत्र विशेष का स्वामी है और सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे से सम्बन्धित है। एक यादगार समझदारी निगर निगम और अधिकृत फीकल स्लज एवं सेप्टेज परिवहनकर्ता के बीच अनुबंधित होगी। जो यह अधिकतर देगा कि वह इसकी लागत वसूली करें। और उसका भुगतान निकाय को करना होगां।

स. उपभोक्ता लागत को मासिक सिंचाई लागत या सम्पत्ति कर में जोडा जायेगा या एक विशेष नगरीय पर्यावरण फीस या भुगतान जैसा कि कार्यक्रम के अंतर्गत होगा, करना होगा।

सारणी 2: उपभोक्ता लागत

क0स0	वर्ग	प्रति यात्रा लागत	विराम की अधिकतम अवधि जो कि सेप्टिक टैंक एवं शौचालय गड्ढे के हेतु निर्धारित है।	मसिक दंड 1.5 की दर सामान्य लागत के लिए जोकि निर्धारित मल निस्तारण के अनुपालन हेतु होगा।
1.	टीनशैड वाला मकान	1000	कम से कम 2–3 वर्ष में एक बार	50
2.	अन्य समस्त मकान	3500	जब टैंक दो होते है	100

3.	दुकान	2500	2/3 जो भी पहले भरा जाये कम से कम प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार जब टैंक का 2/3 भग पहले भरा हो।	125
4.	सूस्त सरकारी/निजी कार्यालय	2000		250
5.	बैंक	3500		312
6.	सामुदायिक शौचालय/मुत्रालय	3000		500
7.	रेस्टोरेन्ट	2000		500
8.	होटल/गेस्ट हाउस 1–10 कमरें	3500		250
9.	होटल अतिथि गृह 11–20 कमरें	4000		250
10.	होटल अतिथि गृह 20 कमरें से ज्यादा	5000		500
11.	धर्मशाला 1–25 कमरें	3500		625
12.	धर्मशाला 15 कमरे से ज्यादा	5000		200
13.	3 स्टार होटल	3500		400
14	5 स्टार होटल	5000		750
15	सरकारी स्कूल/कालेज	2000		1000
16.	निजी स्कूल/कालेज	2500		500
17.	2 व्हीलर व्हीकल शोरूम	2000		625
18.	4 व्हीलर वाहन शोरूम	2500		500
19.	सिनेमा हॉल	3500		625
20.	होटल 0–20 कमरें	3500		1250
21.	होटल 21 से 50 कमरें	4000		500
22.	होटल 50 कमरें से अधिक	5000		550
23.	विवाह हॉल/बैंकट हॉल	3500		1100
24	बार	3500		625
25.	सरकारी हॉस्पिटल	3000		625
26.	नर्सिंग हॉम/क्लीनिक	3000		500
27.	पैथोलोजिकल लैब	3000		500
28.	निजी अस्पताल 20 विस्तर तक	3500		500
29.	निजी अस्पताल 20 से 50 तक	4000		1250
30.	निजी अस्पताल 50 बिस्तर से अधिक	5000		1500
31.	चावल की मिल/ अन्य मिल	3500		1750
32.	अन्य उद्योग शिड्कुल क्षेत्र में	4000		500
33.	अन्य उद्योग शिड्कुल क्षेत्र से बाहर	3500		1500

नोटः

1. उपरोक्त उपभोक्ता व्यय सांकेतिक है और उनका निर्णय और स्वीकृति नगर निगम ऋषिकेश द्वारा निर्णित किये जायेगें।
2. मल निस्तारण समयावधि में होगा या जब टैंक 2/3 की आपूर्ति कर देता है (जैसा कि नगर निगम ऋषिकेश द्वारा स्वीकृति है)

3. उपभोक्ता लागत 5 प्रतिशत वार्षिक दर से बढाई जायेगी ।

8. मैकेनिजम का निरीक्षण, कियान्वयन और मजबूती देना:

8.1 कोई भी व्यक्ति जोकि एस0एम0सी0/नगर निगम ऋषिकेश देहरादून द्वारा अधिकृत है,उसको पूर्ण अधिकार होगा कि वह सेप्टिक टैंक एवं हर एक मकान के शौचालय गड्ढे या सामुदायिक / संस्थागत आदि का निरीक्षण करेगा ।

8.2 मल निस्तारण का अनुपालन न करना जैसा कि उपरोक्त वर्णित है, जुर्माना अलग से लगाया जायेगा और इससे प्राप्त धनराशि नगर निगम ऋषिकेश मे जमा होगी।

8.3 नगर निगम ऋषिकेश के अपने क्षेत्र के सेप्टिक टैंक के खाली होने का अभिलेख रखेगें।

8.4 अवचेतना कार्यक्रम समय–समय पर चलाया जायेगा, जो कि प्रत्येक व्यक्ति, सरकार या निजी व्यवसाय के प्रशिक्षण हेतु होगी। जो कि सेप्टिक टैक बायोंडाइजेस्टर मल निस्तारण सेप्टिक टैंक का एकत्रीकरण, मशीनरी,परिवहन,निषपादन और सेप्टेज का इलाज।

9. दंड:

दंड का ढांचा उपकरण से रहित/अकार्यशील जी0पी0एस0 प्रणाली निर्धन वर्ग की शिकायते, फीकल स्लज का एकत्र न करना और सेप्टेज इलाल प्लांट का/आर.एन.एल. का रजिस्ट्रीकरण न करना। सुरक्षित उपाय मल निस्तारण गाडियों का अनुपालन न करना ।

सारणी 3: दंड

क्र0 सं0	शिकायत का प्रकार	दंड या कार्यवाही प्रथम दृष्टया पकडी गयी वर्ष में एक बार मल निस्तारण वाहन	दंड या कार्यवाही वर्ष में दुबारा पकडी गयी मल निस्तारण वाहन से सम्बन्धित	दंड या कार्यवाही वर्ष में तीसरे समय पकडी गयी विशेष रूप से मल निस्तारण वाहन
1.	लोगों की सोचनीय सेवा की शिकायत	2500	5000	तीन महीने के लिए परमिट सेवा की शिकायत परमिट का निरस्तीकरण
2.	सेप्टेज/फीकल स्लज जैसा की विशेष कार्यक्षेत्र में	1000	6 माह के लिए परमिट को स्थगित करना	
3	पंजीकरण न करना/पंजीकरण का नवीनीकरण न करना	1000	20000	आर0टी0ओ0 को संस्तुति वाहन के पंजीकरण को निरस्त करने हेतु 3 महीने के लिए परमिट को स्थगित करना/परमिट का निरस्तीकरण के लिए स्थगित करना।
4.	विशेष सुरक्षा उपायों का पालन न करना	5000	10000	
5.	जी0पी0एस0 जो वाहन पर लगाया गया है उसका कार्य न करना	5000	10000	

ह0 (अस्पष्ट)
नगर आयुक्त,
नगर निगम ऋषिकेश।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 19 हिन्दी गजट/192–भाग 8–2020 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।